BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

Original Application No. 63/2025/EZ

In the matter of:

Dinesh Kumar Suman ....Applicant

-Versus-

The State of Bihar & Ors. ...Respondents

INDEX

Sl. No.	Particulars	Annexures	Page No.
1.	Counter Affidavit on behalf of the Respondent no. 2		1 - 13
2.	Copy of letter No. 2402 dated 12.12.2023	-R/1-	14 - 16
3.	Copy of letter No. 350 dated 14.12.2023	-R/2-	17 - 22
4.	Copy of letter No. 2418 dated 15.12.2023	-R/3-	23 - 24
5.	Copy of letter No. 2481 dated 29.12.2023	-R/4-	25 - 26
6.	Copy of letter No. 1076 dated 08.02.2024	-R/5-	27
7.	Copy of letter No. 359 dated 15.02.2024	-R/6-	28 - 29
8.	Copy of letter No. 69 dated 19.02.2024	-R/7-	30 - 31
9.	Copy of wetland committee meeting proceeding dated 21.08.2023	-R/8-	32 - 33
10.	Copy of wetland committee meeting proceeding dated	-R/9-	34 - 37

	11.03.2024		
11.	Copy of PGRO order dated 16.05.2025	-R/10-	38
12.	Copy of complaint through email	-R/11-	39 - 40
13.	Authorization Letter along with Aadhar Card.		

Date: 24/07/2025

Place: Saran (Chapra), Bihar.

Filed by:

Surendra Kumar
Advocate

Mr. Surendra Kumar,
Advocate

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

Original Application No. 63/2025/EZ

In the matter of:

Dinesh Kumar Suman ...Applicant

-Versus-

The State of Bihar & Ors. ...Respondents

Aman Samir, Address D.M. Saran, solemnly affirms and declare before me on identification. P. NATH 24/7/25 NOTARY Chhapra, Saran

NOTARY P. NATH SARAN Reg. No.-42/2000 Ex. 4-07/02/77 Govt. of Bihar

69 24/7/25

COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 (DISTRICT MAGISTRATE, DISTRICT-SARAN)

I, AMAN SAMIR, aged about 37 years, S/o Ram Balak Das, presently posted as District Magistrate, District-Saran, Bihar, working for gain at the Office of District Magistrate, Saran, Bihar, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am the District Magistrate, Saran and have been to swear this affidavit on behalf of Respondent No. 2. I am well acquainted with the facts and circumstances of the present case and have thoroughly gone through the Original Application filed by the Applicant and all related documents pertaining to the allegations concerning Haldia Chaur wetland.

2. That the present Original Application has been filed by the Applicant, Dinesh Kumar Suman, alleging illegal poaching of migratory birds at Haldia Chaur water body located to the West of Mattkara Village, Tarwa Mangarpal, Dariyapur Block in the Saran District. The Applicant has raised concerns about environmental

NOTARY P. NATH SARAN Reg. No.-42/2000 Ex. 4-07/02/77 Govt. of Bihar

NOTARY P. NATH SARAN Regd. No. 42/2000 Dt. 07/02/77 Govt. of Bihar

degradation and wildlife protection violations at this natural water body.

3. That your respondent states that Haldia Chaur is a natural water body spread over an area of 37.714 hectares situated on government land in the aforementioned location. The administration has been vigilant about the conservation and protection of this ecologically significant wetland and has taken comprehensive measures to address any environmental concerns.

4. That in response to the allegations of poaching of migratory birds, the Divisional Forest Officer (DFO), Saran vide letter No. 2402 dated 12.12.2023 immediately sought a factual report from the concerned Range Officer of Forest (RoF), Dighwara, Saran to conduct a thorough investigation into the matter. This demonstrates the prompt and serious approach adopted by the forest administration to address the concerns raised.

Copy of letter No. 2402 dated 12.12.2023 is annexed herewith and marked as "Annexure R-1".

5. That pursuant to the directions of the DFO, the Range Officer of Forest, Dighwara vide letter No. 350 dated 14.12.2023 submitted a comprehensive report after conducting a detailed field investigation. The RoF along with her staff personally visited the wetland area and conducted extensive consultations with local public representatives including members of the Dariyapur Block Fisheries Sahyog Samiti, Mantri, and the local Mukhiya. During these consultations, all local representatives categorically denied any instances of illegal bird poaching in the area and suggested

NOTARY P. NATH SARAN Regd. No. 42/2000 Dt. 07/02/77 Govt. of Bihar

that such complaints might be motivated by persons who were unsuccessful in obtaining fishing rights or tenders for the wetland.

Copy of letter No. 350 dated 14.12.2023 is annexed herewith and marked as "Annexure R-2".

6. That to ensure comprehensive monitoring, a dedicated patrolling team was constituted and alerted to maintain regular surveillance of the area. The patrolling team conducted systematic visits to the wetland on multiple dates including 06.12.2023, 09.12.2023, 10.12.2023, and 11.12.2023. During all these visits, no evidence whatsoever was found to substantiate the allegations of migratory bird poaching as claimed by the Applicant.

7. That recognizing the gravity of the allegations, the Divisional Forest Officer, Saran personally conducted a detailed inspection of the site on 14.12.2023. Despite thorough examination of the entire wetland area, no evidence was found to support the claims of migratory bird poaching by local inhabitants. Subsequently, senior forest officials including the Conservator of Forest (CF), Siwan Circle and Regional Chief Conservator of Forests (RCCF), Muzaffarpur also visited the area on 17.12.2023. These high-level inspections further confirmed the absence of any illegal bird hunting activities at the site.

8. That as a proactive measure to prevent any potential violations, the DFO, Saran vide letter No. 2418 dated 15.12.2023 informed the District Fisheries Officer, Saran to create comprehensive awareness among local communities about the complete prohibition on migratory bird poaching and emphasized that any such activity constitutes a serious offence under the Wildlife

(Protection) Act, 1972. This initiative aimed at educating the local population about wildlife conservation laws and their stringent enforcement.

Copy of letter No. 2418 dated 15.12.2023 is annexed herewith and marked as "Annexure R-3".

9. That to ensure coordinated action across all administrative departments, the matter was formally reported to the District Magistrate, Saran vide letter No. 2481 dated 29.12.2023 seeking support and alerting the local civil administration about the allegations and the need for enhanced vigilance. This inter-departmental coordination was essential for comprehensive monitoring of the wetland ecosystem.

Copy of letter No. 2481 dated 29.12.2023 is annexed herewith and marked as "Annexure R-4".

10. That in response to the communication from the forest department, the District Magistrate, Saran vide letter No. 1076 dated 08.02.2024 directed the Circle Officer, Sonpur, Saran to maintain special vigil and take necessary precautionary measures to prevent any illegal bird poaching activities in the area. This directive ensured that the revenue administration was fully engaged in the protection efforts.

Copy of letter No. 1076 dated 08.02.2024 is annexed herewith and marked as "Annexure R-5".

11. That when the complainant subsequently sent another email requesting investigation of illegal bird poaching, the DFO, Saran

vide letter No. 359 dated 15.02.2024 again directed the RoF, Dighwara to conduct a fresh investigation and submit a detailed report. This demonstrates the administration's commitment to addressing every concern raised by the complainant through proper investigative procedures.

Copy of letter No. 359 dated 15.02.2024 is annexed herewith and marked as "Annexure R-6".

12. That in compliance with the fresh directions, the RoF, Dighwara vide letter No. 69 dated 19.02.2024 reported that the patrolling team had conducted additional random inspections on 12.12.2023, 05.02.2024, and 17.02.2024. The report conclusively stated that during all these inspections, nothing was found regarding hunting or poaching of migratory birds at the Haldia Chaur wetland.

Copy of letter No. 69 dated 19.02.2024 is annexed herewith and marked as "Annexure R-7".

13. That the matter of illegal bird poaching was formally discussed in the District Level Wetland Committee meeting held on 21.08.2023. During this meeting, officials from various concerned departments including fisheries, agriculture, panchayati raj, and police were specifically alerted to regularly monitor the wetland and report against any illegal bird hunting activities. This multi-departmental approach ensures comprehensive surveillance and protection of the wetland ecosystem.

NOTARY P. NATH SARAN Reg.No. 42/2000 Govt. of Bihar

Copy of wetland committee meeting proceedings dated 21.08.2023 is annexed herewith and marked as "Annexure R-8".

14. That demonstrating the administration's commitment to wetland conservation, the District Wetland Committee through the unanimous consent of all stakeholders passed a resolution on 11.03.2024 to declare Haldia Chaur as a protected wetland under the Wetland (Conservation and Management) Rules, 2017. This formal declaration provides enhanced legal protection to the wetland and strengthens conservation efforts.

Copy of wetland committee meeting proceeding held on 11.03.2024 is annexed herewith and marked as "Annexure R-9".

15. That your respondent states that despite multiple opportunities provided, the complainant has never appeared before the DFO, CF, RCCF, or any other competent authority to date for verification of the genuineness of his allegations or to provide specific evidence supporting his claims. This non-appearance raises questions about the veracity and motivation behind the complaints.

16. That your respondent submits that the area around the wetland will be systematically developed in accordance with the prescribed mandate following the final notification under the Wetland Rules. The administration is committed to implementing comprehensive conservation and development measures that will enhance the ecological value of the wetland while ensuring its protection.

NOTARY P. NATH SARAN Reg. No. Govt. of Bihar

17. That your respondent states that the complainant had earlier registered a similar complaint on 28.02.2025 before the District Public Grievance Redressal Officer, Saran (PGRO). The PGRO provided an opportunity to both the complainant and the DFO, Saran to produce relevant records and evidence regarding the complaint. While the Divisional Forest Officer, Saran submitted a comprehensive report with supporting documentation, the complainant failed to appear to verify his claims or provide any substantive evidence.

18. That after carefully considering the detailed report submitted by the forest department and the complainant's failure to substantiate his allegations, the PGRO was satisfied with the actions and efforts undertaken by the forest department and accordingly dismissed the complainant's claim as unsubstantiated. This decision by an independent grievance redressal authority validates the comprehensive measures taken by the administration.

Copy of PGRO order dated 16.05.2025 is annexed herewith and marked as "Annexure R-10".

19. That your respondent states that the complainant has been regularly sending bulk emails to a large number of authorities, officials, and individuals with identical grievances. The complainant has attached unverified photographs, some with GPS coordinates and some without, purportedly showing poaching of migratory birds. However, the complainant has never approached local forest officials, police, circle offices, fisheries offices, or any other competent authority to report when these photographs were

allegedly taken or to seek immediate intervention during the purported incidents.

Copy of complaint through email is annexed herewith and marked as "Annexure R-11".

20. That your respondent submits that the District Wetland Committee, forest officials, and the entire district administration are fully aware of their responsibilities regarding wetland conservation and wildlife protection. The administration maintains constant vigilance and is prepared to take immediate action upon receiving any credible information about illegal bird poaching or other environmental violations.

21. That based on the comprehensive investigations conducted, multiple field visits by senior officials, consultations with local representatives, continuous monitoring through patrolling teams, and the formal declaration of the wetland under protection rules, your respondent submits that the allegations made by the Applicant are unfounded and lack substantive evidence.

22. That the District Administration has implemented robust measures for the protection and conservation of Haldia Chaur wetland including establishment of regular patrolling systems, creation of awareness programs among local communities, coordination between multiple government departments, formal declaration of wetland protection status, and maintenance of continuous dialogue with local stakeholders.

23. That your respondent respectfully submits that all necessary and appropriate steps have been taken to ensure the protection of

NOTARY P. NATH SARAN Govt. of Bihar

NOTARY P. NATH SARAN Reg. No. 12/2000 Ex. 07/02/27 Govt. of Bihar

migratory birds and the conservation of the Haldia Chaur wetland. The administration remains committed to environmental protection and will continue to monitor the situation vigilantly while implementing further conservation measures as required.

24. That in view of the above facts and circumstances, it is respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to take note of the comprehensive measures undertaken by the District Administration, consider the lack of substantive evidence supporting the Applicant's allegations, acknowledge the formal protection status accorded to the wetland, and dismiss the present Original Application as the concerns raised have been adequately addressed through proper administrative and legal processes.

25. I state that the statements contained in paragraphs 1 to 23 above are true to the best of my knowledge, information, and belief based on official records and documents. Paragraph 24 contains my respectful prayer before this Hon'ble Tribunal.

Prepared in my Office

Surendra Kumar
Advocate

Advocate

Aman Sami

Deponent

NOTARY P. NATH SARAN Reg. No. 12/2000 Ex. 07/02/27 Govt. of Bihar

VERIFICATION

Verified at Saran (Chapra) on this the 24 day of July, 2025, that the contents of paragraphs 1 to 25 of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge, information and belief based on official records, and that paragraph 24 contains my respectful prayer. Nothing material has been concealed there from.

Aman Sauri

Deponent

NOTARY
P. NATH
SARAN
Regd. No. 12/2000
Govt. of Bihar

Prohibition Excise & Registration Department, Government of Bihar

INDIA NON JUDICIAL

Other

First Party Name *	: Not Applicable
Second Party Name *	: SHRI AMAN SAMIR
Purchased By *	: SHRI AMAN SAMIR
Certificate Number	: BR038162021753268301799
Consideration Price	: ₹0.00/-
Stamp Duty Paid	: ₹100.00/-
Registration Fee & Other Fees	: ₹0.00/-
LLR & Proc Fee	: ₹0.00/-
Miscellaneous Fees	: ₹0.00/-
Discore SC	: ₹0.00/-
Total Amount	: ₹100.00/- (One Hundred)

NOTARY P. NATH SARAN Reg.No. -1/2020 Govt. of Bihar

WELFARE STAMP ₹ 25 बिहार BIHAR BIHAR STATE BAR COUNCIL PATNA पच्चीस रुपये Rs. Twenty Five

18 Jul 2025

------------ This stamp paper will only be valid if embossed below with special RED ink impression

The Bihar State Co-operative Bank Ltd. Chapra Br.

Phone No:
Sold To/Issued To:
Shri Aman
For Whom/ID Proof:
Samir

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
D S R OFFICE
CHAPRA
841301
BIHAR
बिहार
सत्यमेव जयते
भारतीय गैर न्यायिक

JUL-23-2025 16:31:51

₹ 0000100/-
ZERO ZERO ZERO ZERO ONE ZERO ZERO

Acknowledgement
38162021753288311004-00147453
3816202 9561

सत्यमेव जयते

सेवा में दिनांक- 09/12/2023

परम आदरणीय
द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली - 110004

परम आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी
प्रधानमंत्री, भारत सरकार
साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, नई दिल्ली -110011

परम आदरणीय
नितीश कुमार जी
मुख्यमंत्री बिहार, सरकार
मुख्यमंत्री सचिवालय,4, देशरत्न मार्ग, पटना, बिहार: 800001

विषय:- सैकड़ो एकड़ में फैले सरकारी तलाब को पक्षी अभयारण्य में घोषित करने के संबंध में। सैकड़ो एकड़ में फैले सरकारी तलाब में मछली मारने पर अतिशीघ्र प्रतिबंध लगाने के संबंध में। सैकड़ो एकड़ में फैले सरकारी तलाब में पूरी तरह से भ्रमण कर के सभी नाव जाल बास खाली करवाने एवं उसी नाव जाल बास के मदद से घेराव कर के प्रवासी पक्षियों के मारने के संबंध में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव, श्रीमती वंदना प्रेयषी जी खुद आकर पूरी तरह से जॉच करने के संबंध में।

महाशय
सविनय निवेदन यह कहना है कि ग्राम+पोस्ट- टरवाँ मंगरपाल, थाना+प्रखण्ड- दरियापुर, जिला- सारण, बिहार, 841101 है. मठककड़ा गॉव से पश्चिम में सैकड़ो एकड़ में सरकारी तलाब फैला हुआ है।
सर आपलोग सिविल सर्विस में है आपलोगो के हाथों में बहुत अधिकार है जिससे कि आपलोग लाखों प्रवासी पक्षियों कि जान को बचा सकते हैं। नही तो आने वाले समय में सभी पक्षी विलुप्त हो जाएगी, कही ऐसा नहीं हो कि दूसरे देशों से प्रवासी पक्षियों को खरीदना पड़े। आपलोग सैकड़ो एकड़ में फैले सरकारी तलाब को पक्षी अभयारण्य में घोषित करने कि कृपा करें। पक्षी अभयारण्य में घोषित कर के इसके आस पास पेड़ पौधें लगाया जाएं जिससे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन में हो रहे बदलाव को कम करने में मदद मिलेगी।
वरीय- वरीय अधिकारियों से पूरे तलाब कि जॉच कराने कि कृपा करें। उस तलाब में मछली मारने पर तुरंत रोक लगाई जाएं।
तलाब में शिकारियों के द्वारा बास, जाल से घेर कर नाव के मदद से मछली में, दाना में जहर भर कर रख देता है और उसे प्रवासी पक्षी खाकर मर जाती है। उस तलाब में जितना भी बास, जाल, नाव से घेराव किया हुआ है उसे तुरंत पूरे तलाब को खाली कराई जाएं।

दरियापुर प्रखण्ड स्थित मठककड़ा गाँव से पश्चिम हल्दिया चवर में सैकड़ो एकड़ में फैले सरकारी तलाब में कुछ मछुआरों के द्वारा मछली मारने के बहाने सैकड़ो प्रवासी पक्षियों को रोज मछली में, एवं दाने में जहर मिला कर खिला देता है और प्रतिदिन 500 से अधिक प्रवासी पक्षियों को मार देता है। सरकारी तलाब में सभी बास और जाल को जल्द से जल्द खुलवा दिजिए और तलाब में से सभी नाव को बाहर निकलवा दिजिए उस तलाब में मछुआरों को मछली मारने पर पुरी तरह से रोक लगा दिजिए। और कभी भी भविष्य में उस तलाब में मछुआरों को मछली नहीं मारने दिया जाए।

निजी पोखरा वाले को परेशान नहीं किजिएगा।

सर मछली बहुत कम मारता है और प्रवासी चिड़िया को बहुत ज्यादा मार देता है उस तलाब में पानी निकालने वाला मशीन, नाव, जाल, बास सभी को जल्द से जल्द हटवाने कि कृपा करे। ताकि प्रवासी पक्षी शांति से विचरण कर सके।

अतः- श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि उक्त बिंदुओं पर ध्यान देते हुए मछली मारने पर रोक लगाते हुए पक्षी अभयारण्य में घोषित करने कि कृपा करें।

मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के द्वारा मिल कर प्रवासी पक्षियों को मार कर व्यवसाय किया जा रहा है। क्यूंकि अभी तक पूरे तलाब से एक भी नाव, बास, जाल से किया हुआ घेराव नहीं हटा हुआ है। पूरे तलाब में भ्रमण कर के जल्द से जल्द सभी को हटवाने कि कृपा करें।

मेरा जानकारी गुप्त रखी जाए।

कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी सारण वन प्रमण्डल छपरा

ज्ञापांक 2402 / दिनांक 12-12-23 /

प्रतिलिपि - वनों के क्षेत्र पदाधिकारी दिघवारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में उठाये गये बिन्दुओं को जाँच कर जाँच प्रतिवेदन अविलम्ब समर्पित करना सुनिश्चित करें।

इसे अत्यावश्यक समझें।

13/12/23

Divisional Forest Officer
Saran Forest Division, Chapra
12/12

जन शिकायत को भेजा

Annexure 02

कार्यालयः– वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, दिघवारा वन प्रक्षेत्र, छपरा।

पत्रांक 350

दिनांक 14.12.2023

सेवा में

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल, छपरा

विषय– हल्दीया चौर, दरियापुर के तालाब में प्रवासी पक्षियों के शिकार से संबंधित स्थलीय जॉच करने के संबंध में।

प्रसंग– भवदीय कार्यालय का ज्ञापांक 2402 दिनांक– 12.12.2023

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगिक पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है कि परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में बताये स्थल ग्राम+पों0– टरवॉ मंगरपाल, थाना– प्रखंड दरियापुर, जिला– सारण, मठककडा गॉव से पश्चिम में बहुत बड़ा तालाब है जो हल्दीया चौर के नाम से जाना जाता है। मैं और मेरी टीम द्वारा स्थलीय जॉच किया गया, जिससे पता चला कि इस तालाब में मत्स्य विभाग सारण, छपरा द्वारा हर वर्ष दरियापुर प्रखंड मत्स्य जीवी सहयोग समिति लि0 दरियापुर को मछली पालन हेतु अनुमति दी जाती है। (सूची की छायाप्रति संलग्न)। उक्त स्थल पर मै स्वयं एवं मेरी टीम के द्वारा तालाब के चारों ओर बारीकी से जॉच की गई, किन्तु वहॉ पक्षियों के शिकार संबंधी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई। इस संबंध में मत्स्य जीवी सहयोग समिति के निर्वाचित मंत्री रीता देवी से भी जानकारी ली गई। उनके द्वारा भी बताया गया कि इन तालाबों में पक्षी के शिकार की सूचना उन्हे अभी तक प्राप्त नहीं है। इसके आलावा मैने अपने अधिनस्थ वन कर्मी को उक्त क्षेत्र में निरंतर भ्रमण एवं गश्ती के निर्देश देते हुए स्थलीय जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया। (प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न)। पक्षी के शिकार संबंधित कोई जानकारी एवं साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे द्वारा वहॉ के स्थानीय मुखिया एवं अन्य ग्रामीणों के साथ बैठक कर प्रवासी पक्षियों के आगमन, पक्षी शिकार से नुकसान एवं पक्षी से संबंधित कानून के बारे में चर्चा भी की। इनके द्वारा ये भी आश्वासन दिया गया है कि यदि इस क्षेत्र में कभी भी पक्षी के शिकार की घटना होती है तो इसकी सूचना विभाग को दी जायेगी एवं इसकी रोक थाम में भी मदद की जायेगी।

सभी स्थलीय जॉच के उपरान्त भी परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में उठाये गये बिंदुओं का साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। स्थलीय जॉच से संबंधित अभिलेखों को पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित किया जा रहा है।

श्रीमान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक– जॉच प्रतिवेदन।२ प्रति में।

विश्वासभाजन
14/12/23
वनों के क्षेत्र पदाधिकारी
दिघवारा वन प्रक्षेत्र, छपरा।

सेवा में वन प्रमंडल पदाधिकारी
सारण वन प्रमंडल छपरा
द्वारा - उचित माध्यम

विषय - हलदिया चौर (परसागढ़) में प्रवासी पक्षी हो रहे शिकार के जाँच पड़ताल के संबंध में

महाशय,

सादर सूचित करना है कि मैं भीम कुमार दिसवार (दिसवार) वनरक्षी परसागढ़ भैरव के साथ आपके मौखिक आदेशानुसार 10/12 को हलदिया चौर (परसागढ़) का औचक निरीक्षण किया, स्थानीय धान बिन एवं मछुआरों, ग्रामीणों से भी पूछ ताछ की गई लेकिन प्रवासी पक्षी शिकार से संबंधित अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। वनरक्षी भैरव के मौखिक बयान के अनुसार वे कई दिनों से हलदिया चौर क्षेत्र में लगातार गश्ती कर रहे हैं। परन्तु उन्हें भी अभी तक कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। जाँच पड़ताल के संबंध में ही मगरपाल ग्राम पंचायत मुखिया प्रतिनिधि भाऊसाहेब महतो एवं उनकी पत्नी परसागढ़ प्रखण्ड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि० के निर्वाचित मंत्री रीता देवी से भी पूछताछ की गई है जिन्होंने प्रवासी पक्षी शिकार संबंधी किसी भी मामले में अपनी भूमिका होने से इनकार किया है।

अतः श्रीमान को सूचनार्थ हेतु समर्पित

विश्वासभाजन
Bhim Kumar Dishwar
Forester
10/12/202

संलग्नक
(1) परसागढ़ प्रखण्ड मत्स्यजीवी सहयोग लि०, परसागढ़ निर्वाचित मंत्री के द्वारा, वन प्रमंडल पदाधिकारी को लिखा गया प्रत्युत्तर पत्र
(2) मगरपाल ग्राम पंचायत मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा प्रत्युत्तर पत्र
(3) धानबीन एवं गश्ती का

ग्राम पंचायत राज मगरपाल, सारण

मोसाहेब महतो
(मुखिया)
ग्राम पंचायत मगरपाल
मो0-9934831897

प्रखण्ड + थानाः दरियापुर
जिलाः सारण

पत्रांक: 166

दिनांक: 10-12-2023

सेवा में
वनप्रमण्डल पदाधिकारी
सारण वनप्रमण्डल छपरा

विषय- मत्स्य जीवि सहयोग समिति लि०मी० दरियापुर के मंत्री पद पर निर्वाचित सीता देवी के दुरदिया चौवर में भूमिका स्पष्ट करने के संबंध में

महाशय,

सादर सूचित करना है कि मैं मोसाहेब महतो मुखिया ग्राम पंचायत मगरपाल जो कि मेरी पत्नी सीता देवी मत्स्य जीवी सहयोग समिति लि०मी० दरियापुर मंत्री पद पर निर्वाचित है इनके द्वारा फांसी पक्षी के शिकार संबंधी किसी भी गतिविधि में कोई संलिप्तता नहीं है नहीं इनके द्वारा पट्टा दिये गये पट्टुवा सदस्य को भी इस तरह की गतिविधि में संलिप्तता नहीं है। जो भी शिकायत आवेदक के द्वारा किया जा रहा है उस में आवेदक के ही संलिप्तता मालूम पड़ रही है। आवेदक अपने साथियों का साथ मिलकर हमें और हमारे पत्नी को बदनाम करते हुए शिकार खुद कर रहा है और अपने साथियों के द्वारा करवा रहा है।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि आपके द्वारा आवेदक के संलिप्त भूमिका की जांच अपने स्तर से करवाने की कृपा कि जाय ताकि वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सके।

मुखिया
मोसाहेब महतो
ग्राम पंचायत राज, मगरपाल
प्रखण्ड-दरियापुर (सारण)

दरियापुर प्रखण्ड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि०, दरियापुर

कार्यालय- ग्राम+पो०- दरवाँ मंगरपाल, जिला- सारण
निबंधन संख्या- BR-08-01-01-F-2-2010

पत्रांक-

दिनांक 10-12-2025

सेवा में

वनप्रमण्डल पदाधिकारी
सारण वन प्रमंडल छपरा

विषय:- हलधिया चौर दरियापुर क्षेत्र में प्रवासी पक्षी के शिकार में मेरी भूमिका नहीं होने के संबंध में।

महाशय

सादर सूचित करना है कि मैं सीता देवी पति- मो० साहेब महतो ग्राम- मंगरपाल नूरन पो०- दरवाँ मंगरपाल, थाना दरियापुर (सारण) के दरियापुर प्रखण्ड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि० दरियापुर के मंत्री पद पर निर्वा[चित] हूँ। हाल ही के दिनों में पर्यावरण वन एवम जलवायु परिवर्तन विभाग (सारण) के द्वारा कई दिनों से हलधिया चौर में प्रवासी पक्षी के शिकार संबंधित मामले में जाँच पड़ताल की जा रही है जिसमें पकड़े गये मछुवारा सदस्यों से भी काफी पूछ ताछ किया जा रहा है। मुझे भी मेरे विभागीय छपरा से इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। प्रवासी पक्षी के शिकार में मेरे एवं मेरे द्वारा ~~पद~~ दिये गये किसी भी मछुआ सदस्य कि कोई भी भूमिका संलिप्त नहीं है।

अतः श्रीमान को सूचनार्थ हेतु समर्पित।

आपका विश्वासी

सीता देवी

मंत्री
दरियापुर प्रखण्ड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि०
दरियापुर (सारण)

आज दिनांक – 11/12/2023 को वनों के क्षेत्र पदा० डिघवारा अंचल के पदस्थापित वनपाल एवं वनरक्षी तथा अन्य वन कर्मी के साथ हरिहरा चौर से सटे ग्रा० – मठककरा में जाँच–पड़ताल किया गया तथा श्री साहेब महतो, मुखिया ग्रा० पंचायत [illegible] सगरजाल के द्वारा बताया गया कि मत्स्य विभाग, छपरा के द्वारा यहाँ मछली पकड़ने के लिए मछुआरों को डाक मिलता है। जिससे संबंधित कागजात की छायाप्रति इनके द्वारा समर्पित की गई।

सगर जाल पंचायत के मुखिया एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि यहाँ चिड़िया को मारने से संबंधित जानकारी हमें नहीं है। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि आलोक कुमार, पिता – बदन महतो, ग्रा० – मड़िया सरैया, थाना – दरियापुर, एवं अनवेश कुमार, पिता – जयनारायण महतो, ग्रा० – मड़िया सरैया, दरियापुर के असामाजिक कर कोई बनाया जाता है। इन्हीं लोगों के द्वारा बार-बार मेल कर यह दर्शाया जाता है कि हरिहरा चौर में पक्षी का शिकार किया जा रहा है, जो कि सत्य नहीं है। इन लोगों के द्वारा यह भी बताया गया कि यदि इस तरह का घटना कहीं पर होती तो ग्रामीणों को इससे संबंधित जानकारी जरूर होती परंतु हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पूर्व में भी असामाजिक तत्वों द्वारा अन्य विभागों में भी परेशान करने के लिए मेल किया जाता रहा है।

(2) अंजनी कुमार सिंह उपमुखिया - मो- 9708994

(3) मिथिलेश कुमार मो० 9135230677

(3) ब्रज किशोर राय मो० 9576927300

(4) पंकज पंडित - 7277459093

(5) सुरेश प्रसाद गुप्ता - 9852110049

(6) रामतराय भकत - 8578994162

(7) अंकित कुमार - 8651670173

(8) ब्रजनाथ चौधरी 7352716037

(9) मो० मैसूर आलम 9507972330

(10) मुकेश चौधरी 9852518617

कृष्णा महतो 8651048474

(11) Chandi kumar - 6201425109

(12) Sunil Ray - 7279845120

(13) Vicky Kumar 7258882572

(14) राजकुमार महतो - 9934407216

(15) मो० सरवर आलम 980123968

(16) विष्णु yade

(17) राहुल कुमार 7295883430

8083349587

(19) [redacted] पि० चन्द्रमा चौधरी 7070916290

बिहार सरकार

कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी
सारण वन प्रमंडल
छपरा, बिहार.841 301

पत्रांक :2418 दिनांक : 15-12-23

प्रेषक,

रामसुन्दर एम, भा0व0से0
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल,छपरा ।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सारण ।

विषय– प्रवासी पक्षियों के संरक्षण हेतु मत्स्य जीवी सहयोग समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजन करने के संबंध में।

प्रसंग– आपका कार्यालय पत्रांक– 2474 दिनांक– 06.12.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि सारण जिला अन्तर्गत ठंड के समय दूसरे क्षेत्रों से प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है । कुछ मछुआरों द्वारा जलाशयों से मछली पकड़ने के बहाने प्रवासी पक्षियों को जहर देकर मारने की शिकायतें आ रही है, जिसे रोकना अत्यंत आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि प्रवासी पक्षियों के संरक्षण एवं प्रवासी पक्षियों को मारना दण्डनीय अपराध है से संबंधित जानकारियाँ देने हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सभी सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की जाय, जिसमें अधोहस्ताक्षरी को भी बैठक में सम्मिलित होने हेतु संसूचित करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक:–यथोक्त

विश्वासभाजन,
15/12
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल,छपरा।

15/12/23

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सारण वन प्रमंडल, छपरा

आवश्यक सूचना

ठंड के समय में दूसरे क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी पक्षी हमारे प्रदेश के मेहमान है। आर्द्रभूमि एवं जलाशयों के आस पास जलपक्षियों एवं प्रवासी पक्षियों को शिकार होने की संभावना है।। ज्ञात हो की पक्षियों का शिकार एवं खरीद–बिक्री वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के तहत गैर कानूनी एवं दंडनीय अपराध है। शिकार करते पकड़े जाने पर 3 साल तक जेल और/या 25000/– रुपए जुर्माना हो सकता है। यदि नदी, ताल तलैया, पोखर तालाबों के आस पास या अन्य जगहों पक्षियों के शिकार या खरीद बिक्री से संबंधित कोई सूचना मिले तो हमारे विभागीय शिकायत सूचना नं०– +917858998981 पर अविलंब सूचित करे। सही सूचना देने वाले व्यक्ति को 5000/– रू० तक का पुरूस्कार भी दिया जाएगा।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
सारण वन प्रमण्डल, छपरा

Annexure 04

बिहार सरकार

कार्यालय– वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा, बिहार. 841301

Email add- dfosaran@gmail.com.

पत्रांक : 2481 दिनांक : 29.12.2023

प्रेषक,

रामसुन्दर एम, भा0व0से0
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल, छपरा

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

विषय – प्रवासी पक्षी के संरक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रवासी पक्षियों को मारने से संबंधित परिवाद पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। तद्आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक–2402 दिनांक–12.12.2023 द्वारा संबंधित वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, दिघवारा को प्रवासी पक्षियों के मारने से संबंधित शिकायत की जांच पड़ताल कर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया।

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, दिघवारा अपने पत्रांक–350 दिनांक–14.12.2023 द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जिसमें बताया कि ग्राम0+पो0–टरवाँ मंगरपाल, थाना+प्रखंड–दरियापुर, सारण के मठककड़ा गाँव से पश्चिम में बहुत बड़ा तालाब है जो हल्दीया चौर के नाम से जाना जाता है का दिनांक – 11.12.2023 को स्थलीय निरीक्षण वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, दिघवारा, श्री भीम कुमार, वनपाल, श्री मदन कुमार, वनरक्षी सह प्रभारी वनपाल, श्री शिवेन्द्र शेखर एवं श्री अमन कुमार शर्मा वनरक्षी द्वारा किया गया जिससे यह पता चला कि उस तालाब में मत्स्य विभाग, सारण द्वारा मत्स्य पालन हेतु प्रत्येक वर्ष दरियापुर प्रखंड मत्स्य जीवी सहयोग समिति द्वारा अनुमति दी जाती है। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, दिघवारा द्वारा स्थलीय निरीक्षण करते हुए वहाँ के स्थानीय मुखिया एवं दरियापुर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री से तद्संबंधित मामलों में पूछताछ किया गया।

ग्राम पंचायत राज मगरपाल के मुखिया द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी श्रीमती रीता देवी मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि0, दरियापुर के मंत्री पद पर निर्वाचित हैं। इनके द्वारा शिकार संबंधी किसी भी गतिविधि में इनकी संलिप्तता नहीं है। शिकायतकर्ता को मछली पकड़ने के लिए डाक नहीं मिलने के वजह से शिकायतकर्ता द्वारा इस तरह की साजिस की जा रही है।

दरियापुर प्रखण्ड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि0, दरियापुर के मंत्री द्वारा बताया गया कि प्रवासी पक्षियों के शिकार की संबंध में किसी भी पट्टा दिये गये मछुआरा सदस्य की कोई संलिप्तता नहीं है। शिकायतकर्ता को टेंडर नहीं मिलने के वजह से शिकायतकर्ता द्वारा इस तरह की साजिस की जा रही है।

मगरपाल पंचायत के ग्रामीणों से पूछ–ताछ किया गया। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि चिड़िया मारने से संबंधित कोई भी जानकारी हमें नहीं है। लोगों द्वारा यह भी बताया गया कि यदि इस तरह की घटना बड़े स्तर पर होती तो आम लोगों को इससे संबंधित जानकारी जरूर होती, परन्तु ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है। उक्त बयान पर सभी ग्रामीणों द्वारा अपनी सहमति से हस्ताक्षर किया गया है।

गश्ती दल द्वारा उक्त क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण (दिनांक – 06.12.2023, 09.12.2023, 10.12.2023 एवं 11.12.2023) एवं गश्ती किया गया, परंतु प्रवासी पक्षियों के शिकार से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावे सोनपुर मेला में पक्षियों का क्रय–विक्रय ना हो को ध्यान में रखते हुए एक विशेष दल द्वारा चंवर के आसपास के इलाकों में निरंतर भ्रमण एवं गश्ती किया जा रहा है, परन्तु प्रवासी पक्षियों को मारने से संबंधित साक्ष्य अद्यतन अप्राप्त है।

दिनांक – 14.12.2023 को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा हल्दीया चंवर का निरीक्षण किया गया, परन्तु प्रवासी पक्षियों को मारने से संबंधित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

इस कार्यालय के पत्रांक–2418 दिनांक–15.12.2023 द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सारण को प्रवासी पक्षियों के सुरक्षा एवं बचाव को देखते हुए विधिसम्मत कार्रवाई करने हेतु पत्राचार किया गया है। साथ ही सभी मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों के साथ प्रवासी पक्षियों के संरक्षण एवं पक्षी का शिकार दण्डनीय अपराध है से संबंधित जानकारियां देने हेतु बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से जिला मत्स्य पदाधिकारी, सारण, अंचलाधिकारी सोनपुर, अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को उक्त स्थल पर सतत् निगरानी रखने हेतु निर्देश देने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–1 वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, दिघवारा का जाँच प्रतिवेदन,
2 ग्राम पंचायत राज मगरपाल के मुखिया का स्पष्टीकरण,
3 दरियापुर प्रखण्ड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि0, दरियापुर के मंत्री का स्पष्टीकरण,
4 GPS फोटोग्राफ्स,
5 इस कार्या0 का पत्रांक–2418, दि0–15.12.2023.

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 19.12

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल, छपरा।

ज्ञापांक– 2541 दिनांक– 19.12.2023

प्रतिलिपि– विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, सारण, छपरा का पत्रांक–9441 दिनांक–23.12.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 19.12

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल, छपरा।

सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला गोपनीय शाखा)

पत्रांक /सी	फोन नं0-06152-240001, 240002
दिनांक फरवरी, 2024	फैक्स नं0-06152-240006
	ई-मेल- dm-saran.bih@nic.in

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
जिला गोपनीय शाखा,
सारण, छपरा।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
सोनपुर, सारण।

विषय :- सरकारी तालाब की सतत् निगरानी करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 729/सी, दिनांक 25.01.2024 का कृपया संदर्भ लें। उक्त पत्र द्वारा दरियापुर एवं सोनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत सैकड़ों एकड़ भूमि में फैले सरकारी तालाब से प्रवासी पक्षियों को मारकर व्यवसाय करने के संदर्भ में तालाब की सतत् निगरानी करते हुए वन प्रमण्डल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी महोदय को समय-समय पर अवगत कराने का निदेश दिया गया था, जो अद्यतन अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में श्री दिनेश कुमार सुमन, पिता-स्व0 जगरनाथ प्रसाद, ग्राम+पो0-टरवाँ मगरपाल, थाना+प्रखण्ड-दरियापुर, जिला-सारण से पुनः आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त तालाब की सतत् निगरानी करते हुए वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण एवं जिला पदाधिकारी महोदय को समय-समय पर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(अनु0:-यथाउपर्युक्त)

विश्वासभाजन

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
जिला गोपनीय शाखा,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1076 /सी0, छपरा दिनांक 8 / 2 /2024

प्रतिलिपिः- निदेशानुसार वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण वन प्रमण्डल, छपरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- निदेशानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- निदेशानुसार अंचल अधिकारी, दरियापुर को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं समतुल्य कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
जिला गोपनीय शाखा,
सारण, छपरा।

456
12-02-24

कार्यालय– वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल, छपरा, बिहार. 841301

बिहार सरकार

पत्रांक :359 दिनांक :15.02.24

प्रेषक

रामसुन्दर एम, भा०व०से०
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल, छपरा

सेवा में,

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,
दिघवारा।

विषय – सरकारी तालाब की सतत् निगरानी करने के संबंध में।

प्रसंग – जिला पदाधिकारी, सारण का क्रमशः पत्रांक– 17, 18 एवं 19 तथा दिनांक– 06.02.2024 तथा विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, सारण का ज्ञापांक– 1076 दिनांक– 08.02.2024.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का अवलाकेन करें। प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में ग्राम+पो0– टरवां मंगरपाल, थाना+प्रखंड– दरियापुर, सारण के मठककड़ा गाँव से पश्चिम में अवस्थित सरकारी तालाब से मछली मारने के बहाने जहर देकर प्रवासी पक्षियों को मारने से संबंधित परिवाद पत्र इस कार्यालय में प्राप्त होता रहा है। तद्संबंधित मामला में इस कार्यालय के ज्ञापांक– 2402 दिनांक– 12.12.2023 द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया था। आपके द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक– 350 दिनांक– 14.12.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में उठाए गए बिंदुओं का साक्ष्य घटना स्थल पर प्राप्त नहीं हुआ।

ज्ञातव्य हो कि आपके द्वारा स्थलीय निरीक्षण के बाद भी तद्संबंधित मामला में प्रवासी पक्षियों को जहर देकर मारने से संबंधित शिकायत प्रमंडलीय कार्यालय में प्राप्त हो रहे हैं। आपको उक्त घटना स्थल का सतत् निगरानी रखने एवं स्थलीय जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया था परंतु आपके द्वारा उक्त के संबंध में प्रतिवेदित नहीं करना खेद का विषय है।

अतः आपको पुनः निर्देश दिया जाता है कि आप स्वयं एवं आपके अधीनस्थ कार्यरत वनकर्मियों का एक दल बनाकर उक्त घटना स्थल पर जाकर तालाब की सतत् निगरानी करते हुए समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन
(signature)
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल, छपरा
15/02/24

अनुलग्नक–यथोक्त।

175

सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला गोपनीय शाखा)

पत्रांक /सी	फोन नं0-06152-240001, 240002
दिनांक फरवरी, 2024	फैक्स नं0-06152-240006
	ई-मेल- dm-saran.bih@nic.in

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
जिला गोपनीय शाखा,
सारण, छपरा।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
सोनपुर, सारण।

विषय :- सरकारी तालाब की सतत् निगरानी करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 729/सी, दिनांक 25.01.2024 का कृपया संदर्भ लें। उक्त पत्र द्वारा दरियापुर एवं सोनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत सैकड़ों एकड़ भूमि में फैले सरकारी तालाब से प्रवासी पक्षियों को मारकर व्यवसाय करने के संदर्भ में तालाब की सतत् निगरानी करते हुए वन प्रमण्डल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी महोदय को समय-समय पर अवगत कराने का निदेश दिया गया था, जो अद्यतन अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में श्री दिनेश कुमार सुमन, पिता-स्व0 जगरनाथ प्रसाद, ग्राम+पो0-टरवाँ मगरपाल, थाना+प्रखण्ड-दरियापुर, जिला-सारण से पुनः आरोप-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त तालाब की सतत् निगरानी करते हुए वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण एवं जिला पदाधिकारी महोदय को समय-समय पर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(अनु0:-यथाउपर्युक्त)

विश्वासभाजन

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
जिला गोपनीय शाखा,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1076 /सी0, छपरा दिनांक 8 / 2 /2024

प्रतिलिपिः- निदेशानुसार वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण वन प्रमण्डल, छपरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- निदेशानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- निदेशानुसार अंचल अधिकारी, दरियापुर को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं समतुल्य कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/2/24

विशेष कार्य पदाधिकारी,
जिला गोपनीय शाखा,
सारण, छपरा।

456
12-02-24

Confidencial (968)

Annexure 07

कार्यालयः– वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, दिघवारा वन प्रक्षेत्र, छपरा।

पत्रांक 69

प्रेषक,

दिनांक 19/2/2024

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,
दिघवारा वन प्रक्षेत्र, छपरा।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी
सारण वन प्रमंडल, छपरा ।

विषय :– सरकारी तालाब की सतत् निगरानी करने के संबंध में।

प्रसंग :– श्रीमान् का पत्रांक 359 दिनांक 15.02.2024।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगिक पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है, कि ग्राम + पो० – टरवॉ मंगरपाल , थाना + प्रखंड – दरियापुर , सारण के मठककड़ा गॉव सं पश्चिम अवस्थित सरकारी तालाब से मछली मारने के बहाने जहर देकर प्रवासी पक्षियों के मारने के संबंध में गत वर्षो से ही लगातर निगरानी का कार्य वन कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। अभी भी मेरे एवं अधीनस्थ वन कर्मियों द्वारा नियमति रूप से गश्ती कार्य जारी है। जिसकी सूचना श्रीमान् को भी दूरभाष के माध्यम से दिया जा रहा है। परंतु परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में उठाये गये बिंदुओं का साक्ष्य अभी तक, मेरे एवं मेरे अधिनस्थ वन कर्मियों के द्वारा प्राप्त नही हुआ है।

श्रीमान् के द्वारा भी इस संबंध में वन कर्मियों को निगरानी हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। मेरे द्वारा भी अधीनस्थ वन कर्मियों से इस सबंध में जानकारी लेते हुए निगरानी हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। गश्ती की कुछ फोटो पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित किया जा रहा है।

निर्देशानुसार पुनः गश्ती दल का गठन कर उक्त तालाब के आस पास चौर में गश्ती करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन

19/2/24

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी
दिघवारा वन प्रक्षेत्र, छपरा।

556
27.02.24

सेवा में
श्रीमान वन प्रमंडल पदाधिकारी
दिघवारा जल प्रमंडल, दिघवारा

द्वारा — अमित आनन्द

विषय — हरदिया चौर के सतत निगरानी के संबंध में।

प्रसंग — आपके कार्यालय का ज्ञापांक 64 दिनांक 16/2/2024 के संबंध में।

महाशय,

आदेश पूर्वक कहना है कि हरदिया चौर में स्थित सरकारी तालाब (कठरवा नदी) एवं जलाशयों के सतत निगरानी हेतु उक्त स्थल पर मेरे द्वारा नियमित गश्ती एवं छानबीन किया जा रहा है। छानबीन के आस-पास के ग्रामीणों से पूछताछ एवं स्थल की बेहतर ढंग से निगरानी की जा रही है। समय-समय पर वन विभाग के विभिन्न पदाधिकारी, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मियों एवं पक्षी विशेषज्ञों के द्वारा साथ भी स्थल का निरीक्षण किया गया है जिसमें परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में उठाये गये बिंदुओं का [illegible] अभिलेख घटना स्पष्ट प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः श्रीमान को सूचनार्थ हेतु समर्पित।

संलग्न — नियमित गश्ती के दौरान सरकारी तालाब के निरीक्षण के समय लिये गये फोटो GPS [illegible]

विश्वासभाजन
शिवेन्द्र [illegible]
वनरक्षी

जिला स्तरीय आर्द्रभूमि प्राधिकरण की बैठक जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता में दिनांक– 21.08.2023 को समाहरणालय कक्ष में सम्पन्न हुई।

उपस्थिति– पंजी में संधारित है।

कार्यवाही:–

वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव, जिला स्तरीय आर्द्रभूमि समिति, सारण, छपरा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए जिला स्तरीय आर्द्रभूमि प्राधिकरण के गठन इसके उद्देश्यों एवं बैठक के प्रयोजन के बारे में बताया गया।

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्तरीय आर्द्रभूमि समिति, सारण, छपरा द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य मे अवस्थित 24 आर्द्रभूमियों को आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत् अधिसूचित करने के लिए भू–अभिलेख उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। सारण जिलान्तर्गत Aata Nagar एवं Mirzapur-Bahiyara आर्द्रभूमि से संबंधित भू–अभिलेख प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाना है।

1. इन आर्द्रभूमि क्षेत्रों मे कितने भू–भाग पर निजी व्यक्तियों के रैयती या अन्य स्वरूप में स्वामित्व/स्वत्व के अधिकार है तथा कितने भू–भाग पर ऐसा कोई अधिकार नहीं है, से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराया जाय।

   (अनुपालनः–अंचलाधिकारी, मशरख/इसुआपुर)

2. इन चिन्हित् आर्द्रभूमि क्षेत्रों में सकल रूप से कितना रकबा सरकारी/राजकीय भूमि है, जो रैयती या निजी स्वामित्व/ स्वत्व के किसी अधिकार से मुक्त है, से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराया जाय।

   (अनुपालनः–अंचलाधिकारी, मशरख/इसुआपुर)

3. इन आर्द्रभूमि क्षेत्रों मे मछुआरों/स्थानीय लोगों को मछली पकड़ने का अधिकार है अथवा नही, अगर हैं तो इसका विवरण उपलब्ध कराया जाय।

   (अनुपालनः–जिला मत्स्य पदाधिकारी, सारण)

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा बताया गया कि आर्द्रभूमि क्षेत्रों में रहने वाले पक्षी तथा प्रवासी पक्षी का शिकार प्रतिबंधित है। इस संबंध मे लोगो को जागरूक करने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

   (अनुपालनः–जिला मत्स्य पदाधिकारी, सारण/ जिला कृषि पदाधिकारी, सारण / जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सारण/ वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मशरख वन प्रक्षेत्र)

5. बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की तृतीय बैठक की कार्यवाही मे चिन्हित् आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करने हेतु जिला स्तर पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार की ओर से नामित

पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त क्षेत्र भ्रमण कर आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के अनुसार regulated एवं prohibited गतिविधियों का सुझाव जिला आर्द्रभूमि समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। इस आलोक मे संबंधित विभागो द्वारा नामित पदाधिकारियों की सूची वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण, छपरा को उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालनः–जिला मत्स्य पदाधिकारी, सारण/ कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, सारण, छपरा/ कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन, सारण, छपरा)

6. आर्द्रभूमि तथा इसके आस–पास के क्षेत्रों मे पौधारोपण कराने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा सुझाव भी दिया गया।

(अनुपालनः–वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मशरख वन प्रक्षेत्र/ जिला परियोजना प्रबंधक, मनरेगा, सारण, छपरा)

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
–सह–
सचिव, जिला स्तरीय आर्द्रभूमि
समिति, सारण, छपरा

Annexure 09

दिनांक– 11.03.2024 को जिला पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता में आयोजित "जिला आर्द्रभूमि समिति" की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– यथा पंजी

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। अध्यक्ष, जिला आर्द्रभूमि समिति–सह–जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा समिति को अवगत कराते हुए आर्द्रभूमि की विशेषता एवं इसका पर्यावरण संरक्षण में महत्व से संबंधित जानकारी दी गयी। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण द्वारा बताया गया कि जिला मे दरियापुर प्रखण्ड मे हल्दीया चंवर अवस्थित है। हल्दीया चंवर मे सालों भर पानी उपलब्ध रहता है। इस चंवर मे जल पक्षियों की विभिन्न प्रजाति अधिक संख्या मे पायी गयी है। आर्द्रभूमि मे प्रतिबंधित गतिविधियों से संबंधित विस्तृत जानकारी भी समिति के समक्ष रखा गया। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण द्वारा समिति के उपस्थित सदस्यों के समक्ष हल्दीया चंवर को आर्द्रभूमि के रूप मे घोषित करने हेतु अधिसूचना प्रारूप को प्रस्तुत किया गया। समिति के सर्वसम्मति से हल्दीया चंवर को आर्द्रभूमि के रूप में घोषित करने हेतु अधिसूचना प्रारूप को प्रस्तुत किया गया। समिति के उपस्थित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से हल्दीया चंवर को आर्द्रभूमि के रूप में घोषित करने हेतु प्रस्तुत अधिसूचना प्रारूप को अनुमोदित किया गया। जिला पदाधिकारी, सारण के द्वारा हल्दीया चंवर को पर्यावरण संरक्षण के दृष्टीकोण से विकसित किये जाने पर बल दिया गया।

अन्त में सभी को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी –सह–सदस्य सचिव, जिला स्तरीय आर्द्रभूमि समिति, सारण, छपरा	16/3/24 जिला पदाधिकारी –सह–अध्यक्ष, जिला स्तरीय आर्द्रभूमि समिति, सारण, छपरा

श्री अमन समीर, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, सारण द्वारा दिनांक 11.03.2024 को साप्ताहिक समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति : पंजी में संधारित है।

जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी तथा बिन्दुवार निम्न निदेश दिये गये :-

1. **जिला स्तरीय आद्रभूमि समिति –** सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक चिन्हित् आर्द्रभूमियों की पहचान, सीमांकन, नक्शा निर्माण, अतिक्रमण से मुक्ति एवं अन्य दावों के निष्पादन हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आद्रभूमि समिति का गठन किया गया है, जिसमें वन प्रमण्डल पदाधिकारी सदस्य सचिव सहित कुल 11 पदाधिकारी सदस्य के रूप में रहेंगे, जिसमें अपर समाहर्त्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियन्ता, लघु जल संसाधन, कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण, जिला मत्स्य पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा नामित एक आर्द्रभूमि विशेषज्ञ रहेंगे। साथ ही यह भी बताया गया कि प्रत्येक आर्द्रभूमि का संक्षिप्त दस्तावेज (brief document), wetland health card, integrated management plan, wetland mitra एवं boundry map of core and zone of influence को तैयार कर राज्य सरकार के स्तर से अधिसूचित किये जाने हेतु प्रतिवेदन भेजा जाना है।

जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा करने पर वन प्रमण्डल, पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में संदर्भित कार्य हेतु दरियापुर प्रखण्ड अवस्थित हरदिया चंवर को चयनित किया गया है, जिसके सभी कार्य अंचलाधिकारी, दरियापुर के सहयोग से कराया जा रहा है।

इसके उपरान्त जिलान्तर्गत अवस्थित आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु जिलाधिकारी द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों का विवरण देते हुए सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिले में उपलब्ध सभी जल निकायों यथा- झील, बील, चौर, मन, ताल, तलैया, पोखर इत्यादि नाम से आर्द्रभूमि क्षेत्रों तथा जलकर क्षेत्रों की सूचनाएँ जो भू-अभिलेखों पर आधारित है तथा धरती भूमि पर है, का संकलन करते हुए आर्द्रभूमियों का सीमांकन कर भू-अभिलेखों में इन्हें जल निकायों के नाम पर सरकार के भू-राजस्व खाता में पंजीकृत करना तथा सभी प्रकार के अतिक्रमण से इन्हें मुक्त कराना सुनिश्चित करें।

निदेश दिया गया कि किसी भी प्रकार के आर्द्रभूमियों में पक्षियों का शिकार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इस हेतु सभी संबंधित पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना

16

सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिला मत्स्य पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मत्स्य विभाग की विभिन्न समितियों की होनेवाली आगामी बैठकों में निश्चित रूप से वन प्रमण्डल पदाधिकारी को आमंत्रित करना सुनिश्चित करें ताकि उनके द्वारा उक्त बिन्दु के संबंध में समिति के सदस्यों को जागरूक किया जा सके।

बैठक के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इसी प्रकार पानापुर में चकिया पंचायत अवस्थित सुरौंजा बाँध के पास गण्डक नदी के बीच में काफी विस्तृत रूप में एक शिल्ट का निर्माण हो गया है, जिस पर तरबूज की भी खेती की जाती है। उक्त स्थल को विकसित करने हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। अंचलाधिकारी, पानापुर को निदेश दिया गया कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर स्थलीय निरीक्षण के समय स्वयं उपस्थित रहकर पूर्ण रूप से आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः वन प्रमण्डल पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/जिला योजना पदाधिकारी/कार्यपालक अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग/कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण/जिला मत्स्य पदाधिकारी/अंचलाधिकारी,पानापुर)

2. **प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना** – समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जिले के 318 पंचायत के विरुद्ध अभी तक 295 पंचायतों से लाभुकों की सूची को संबंधित पंचायत स्तर (प्रथम स्तर) से निर्धारित पोर्टल पर अपलोड (Onboarded) किया गया है, शेष 23 पंचायत में लाभुकों की सूची के अपलोड (Onboarding) की प्रक्रिया तकनीकी कारणों से लंबित है। उक्त योजना की प्रगति के संबंध में पृच्छा करने पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, छपरा द्वारा बताया गया कि प्रथम स्तर पर विभिन्न ग्राम पंचायतों से स्वीकृत 2569 आवेदनों में से द्वितीय स्तर पर ज़िला स्तर से 1177 आवेदनों का सत्यापन के उपरांत सूची राज्य स्तर पर अग्रसारित कर दी गयी है।

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को निदेश दिया गया कि वे प्रतिदिन 250 का लक्ष्य निर्धारित करते हुए लाभुकों की सूची अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगी। संदर्भित योजना के नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित उप विकास आयुक्त को निदेश दिया गया कि वे प्रतिदिन संदर्भित योजना का पर्यवेक्षण करते हुए उक्त योजना में शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगी।

(अनुपालनः उप विकास आयुक्त/नगर आयुक्त, छपरा नगर निगम/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर पंचायत)

ज्ञापांक 195 /सी0, दिनांक 11-03-2024

प्रतिलिपिः सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता/नगर आयुक्त, छपरा नगर निगम, सारण/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सारण/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः समाहरणालय स्थित सभी शाखाओं के कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय/जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन/अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सारण एवं सोनपुर/जिला योजना पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी/उत्पाद अधीक्षक, सारण/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर/सोनपुर/मढ़ौरा तथा उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर/सोनपुर/मढ़ौरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः कार्यपालक अभियन्ता, पथ प्रमण्डल, छपरा/कार्यपालक अभियन्ता, बुडको, सारण/कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, छपरा पूर्वी एवं पश्चिमी/कार्यपालक अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, सारण/कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमण्डल, सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर पंचायत, सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/- 11/3/24
जिलाधिकारी,
सारण, छपरा।

-58

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय,जिला:-सारण

परिवाद संख्या- 999957928022523518

परिवाद प्राप्ति की तिथि- 28/02/2025

परिवादी का नाम-	दिनेश कुमार
परिवादी का पता-	हल्दियां चवर वेटलैंड, प्रखंड-दरियापुर जिला-सारण

16/05/2025

अंतिम विनिश्चय

परिवादी श्री दिनेश कुमार, ग्राम-हल्दिया चवर वेटलैंड, प्रखंड-दरियापुर, जिला-सारण ने सारण हल्दियाँ चवर वेटलैंड से प्रवासी पक्षियों के अवैध रूप से शिकार करने, मछली मारने एवं वंदोवस्ती स्थाई रूप से बंद करने के सम्वन्ध में परिवाद दायर किया गया है। लोक प्राधिकार-सह-वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा छपरा का प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसका पत्रांक-391, दिनांक-05.03.2025 है। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि वर्णित परिवाद के संबंध में कहना है कि परिवादी के परिवाद के आलोक में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, दिघवारा को वास्तविकता की स्थलीय जाँच हेतु निदेशित किया गया है। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, दिघवारा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सारण कित हल्दियावर आर्दभूमि क्षेत्रों में गश्ती दल द्वारा गली (दिनांक- 15.11 2024. 13:12:2024) किया गया परंतु प्रवासी पक्षियों के अवैध शिकार से प्राप्त नहीं हुआ। विदित हो कि जिला पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता में दिनांक- 13.02.2025 को जिला आर्द्रभूमि समिति की संपन्न बैठक में जिला मत्स्य पदाधिकारी, सारण को आर्यभूमि के क्षेत्रों में अवैध रूप से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने तथा जलकर बंदोबस्ती नहीं हो कि सतत निगरानी रखने हेतु निदेशित किया गया है। परिवादी को साक्ष्य/पक्ष प्रस्तुत करने हेतु ज्ञापांक-41711-19557, दिनांक-13.03.2025 से सूचना दी गई, परन्तु परिवादी उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई पक्ष प्रस्तुत किया गया। परिवादी सूचना के बावजूद अपना कोई पक्ष नही रखें। लोक प्राधिकार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिला पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता में दिनांक- 13.02.2025 को जिला आर्द्रभूमि समिति की संपन्न बैठक में जिला मत्स्य पदाधिकारी, सारण को आर्यभूमि के क्षेत्रों में अवैध रूप से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने तथा जलकर बंदोबस्ती नहीं हो कि सतत निगरानी रखने हेतु निदेशित किया गया है। तदनुसार लोक प्राधिकार से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद को स्वीकृत कर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।

MD QUAMAR ALAM Digitally signed by MD QUAMAR ALAM Date: 2025.05.16 15:40:16 +05'30'

हस्ताक्षर
(जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय,जिला:-सारण)

मछुआरों के द्वारा मशीन लगाकर पूरी तरह पानी निकाल कर (सुखा) कर मछली मारने पर जल्द से जल्द रोक प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में ।

Inbox

D

DINESH KUMAR SUMAN
dineshkr707954@gmail.com
Hide details

To:

presidentofindia@rb.nic.in

secy.president@rb.nic.in

pstopresident@rb.nic.in

us.petitions@rb.nic.in

connect@mygov.nic.in

narendramodi1234@gmail.com

amitshah.mp@sansad.nic.in

amitshah.bjp@gmail.com

kiran pallera

contact@amitshah.co.in

dfosaran@gmail.com

rccfmuzaffarpur@gmail.com

cfmuzaffarpur@gmail.com

Date: 28 February 2025, 10:44

(भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1,2,3, और 4 कि पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है इन मछुआरों के द्वारा।) विलुप्त प्राय प्रवासी पक्षियों का बहुत तेजी से शिकार किया जा रहा है बिहार राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन सारण से अनुरोध है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए मत्स्य विभाग के द्वारा हल्दियां चवर वेटलैंड के बंदोबस्ती समाप्त करते हुए यहाँ पर 5 पुलिसकर्मीयों को देखरेख के लिए स्थाई रूप से रखा जाएं।

3 attachments

PDF Wetland2.pdf

PDF DM Saran.pdf

PDF Letter No.277 (Haldiya Ch...